जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 16.05.2023

आज दिनांक 16.05.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री बृजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा **श्री जयवर्धन सिंह** के नेतृत्व में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0स0 117/23 धारा 363 / 366 / 109 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 कैश पुत्र तुफेल अहमद निवासी ग्राम छपरा मगर्वी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दिनांक 03.02.2023 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 23.02.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 15.05.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, का0 संदीप गुप्ता।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री बृजेश सिंह** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस** द्वारा मु0अ0सं0 275/2023 धारा 452,323,504,506,354 भादवि व 3(I)द, 3(I)ध एससी एसटी एक्ट से संबन्धित अभियुक्त हरिशंकर राय पुत्र राम सिंगार राय निवासी बड़गो थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.05.2023 को वादिनी के घर में घुसकर मारपीट व जान माल की धमकी देते हुए गाली दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 15.05.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 16.05.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 मनोज कुमार पटेल मय हमराह हे0का0 जयराम यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन मे जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री अम्बरीष सिंह भदौरिया** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल **श्री रविन्द्र कुमार सिंह** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनॉक 16.05.2023 को मु0अ0सं0 149/2023 धारा 323/504/506/308/325/304/326 भादवि मे वांछित अभियुक्त प्रदुम पुत्र सिकन्दर निवासी गगनई राव थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- प्रदुम पुत्र सिकन्दर निवासी गगनई राव थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 149/2023 धारा 323/504/506/308/325/304/326 भादवि।

विवरणः- प्रतिवादी द्वारा दिनांक 02.05.2033 को नाली के विवाद को लेकर वादी चन्द्रेश निषाद पुत्र भरत निषाद निवासी गगनईराव व उनके परिजनों पर लाड़ी डण्डों से वार किया गया जिससे वादी के पिता श्री भरत निषाद पुत्र सूर्यबली गंभीर रूप से घायल हो गये थे बाद में जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उक्त प्रकरण के संबन्ध में मृतक के बेटे (वादी) द्वारा दिनांक 02.05.2023 को थाना मेंहदावल पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण की गंभीरकता को देखते हुए थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 15.05.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री रविन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री लालजी यादव, हे0का0 अनिल यादव, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, का0 सुधाकर तिवारी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

● **थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्तो गिरफ्तार को किया गया।

● **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 1498 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल*–** पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत जंगल दशहर से इवेन्ट संख्या 17020 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 01 व्यक्ति (योगेन्द्र निवासी जंगलदशहर थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 02 मिनट में पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु प्राइवेट वाहन की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह, आ0 गुफरान अहमद, आ0चा0 राजन प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 46 वाहनो से 34,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.05.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 46 वाहनों से 34,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया।